न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

बारेलाल बल्द मुलुवा यादव, (फौत)
निवासी- ग्राम तिलौहा तह0राजनगर, जिला छतरपुर
द्वारा वारसान-
1. मंगलदीन तनय रामाधीन यादव
2. देवीदीन बल्द रामाधीन यादव
निवासी- ग्राम महाराजगंज, तह0 व जिलाछतरपुर

.. आवेदकगण

।। बनाम।।

म.प्र. शासन ..अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र0क्0 89/अ-19(4) वर्ष /स्व.निग./वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दि0 23.5.15 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न लिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार से है कि ग्राम तिलौहा में स्थित भूमिखसरा नंबर 524 रकवा 0.825हे0 भूमि पर आवेदक बारेलाल का कब्जावर्ष 1980 के पूर्व से होने के कारण उसने म.प्र.कृषि प्रयोजनो के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधि0 1984 के तहत बनाये गये नियमो के नियम-3 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप "क" पर विधिवत् रूप से उक्त भूमि व्यवस्थापित किए जाने बावत् अपना आवेदनपत्र तहसीलदार राजनगर के न्यायालय में विधिवत रूप से प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार राजनगर द्वारा अपने न्यायालय में

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3451-दो/2015 जिला छतरपुर बारेलाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 8/अ-19(4)/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 23-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है 1 उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

4.1.19

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन)
सदस्य